रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2014/ज्येष्ठ 29, 1936
No. 1300] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2014/JYAISTHA 29, 1936

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

का.आ. 1563(अ).—जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उप-धारा के अंतर्गत दिनांक 30-04-2014 को जारी नजरबंदी आदेश सं. यू-11011/04/2013-पीआईटीएनडीपीएस के अधीन निर्देश दिया था कि श्री मनु खोसला, सुपुत्र स्व. श्री बी.पी. खोसला, निवासी दूसरा तल, 5/11, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें केंद्रीय कारागार, तिहाड़, दिल्ली में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि केंद्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है जिसके कारण उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो सका है।

3. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष पेश हो।

[फा. सं. यू-11011/04/2013-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 18th June, 2014

S.O. 1563(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order under F. No. U-11011/04/2013-PITNDPS dated 30-4-2014 under the said sub-section directing that Shri Manu Khosla, S/o Late Shri B.P. Khosla resdident of 2nd Floor, 5/11, East Patel Nagar, New Delhi-110008 be detained and kept in custody in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of the order in the Official Gazette.

[F. No. U-11011/04/2013-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

2522 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.